रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-30012021-224795
CG-DL-W-30012021-224795

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 17 - जनवरी 23, 2021, शनिवार / पौष 27 - माघ 3, 1942
No. 03] NEW DELHI, JANUARY 17 - JANUARY 23, 2021, SATURDAY/PAUSHA 27 - MAGHA 3, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 05.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 को, जहां तक उसका संबंध चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र के लिए पुलिस उप-अधीक्षक के पद को भरे जाने से है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभाग में पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस उप-अधीक्षक, पुलिस विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र भर्ती नियम, 2021 है;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(1) संवर्ग अर्थात् पुलिस उप-अधीक्षक की अधिकृत संख्या 23 हो जाएगी जिसमें पुलिस उप-अधीक्षक के विद्यमान 14 पद और इंडिया रिजर्व बटालियन के 07 पद एवं 01 संवर्ग-बाह्य पद (विशेष कार्य अधिकारी –पुलिस उप-अधीक्षक –सतर्कता) और 01 संवर्ग बाह्य पद (डिस्ट्रकट कमांडेट होम गार्ड) शामिल हैं। ये 09 पद (07 इंडिया रिजर्व बटालियन+02 संवर्ग –बाह्य) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पुलिस उप-अधीक्षक के ग्रेड में संवर्गित हो जाएंगे;

(2) संवर्ग प्राधिकारी कार्यभार में भिन्नता के आधार पर, प्राधिकृत संख्या में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह समय-समय पर आवश्यक समझे।

3. **संवर्ग से ड्यूटी पदों का अपवर्जनः-** संवर्ग प्राधिकारी द्वारा संवर्ग से ग्रेड के किसी भी ड्यूटी पद को अपवर्जित घोषित किया जा सकता है यदि ऐसे पद को, तत्समय, विशेष या तकनीकी अर्हता अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति से भरा जाना अपेक्षित है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं आदिः -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हताः** - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **आरंभिक गठन: -** इन नियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जो पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 के उपबंधों के अधीन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस उप-अधीक्षक (डीएसपी) का पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के उपबंध के अनुसार पुलिस उप-अधीक्षक के पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा। पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन नियुक्त किए गए चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस उप-अधीक्षक द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना इन नियमों के प्रारंभ के समय ज्येष्ठता बनाए रखने के लिए की जाएगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति: -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है लेखबध्द करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्तिः -**

(1) इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2) इन नियमों की कोई बात प्रोन्नति कोटा की रिक्तियों से बाहर अर्थात् पुलिस उप-अधीक्षक के ग्रेड में, ड्यूटी पदों के रूप में, इंडिया रिजर्व बटालियन के स्वीकृत पदों के उपयोग के माध्यम से, पुलिस उप-अधीक्षक के ग्रेड में प्रोन्नतियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तथापि, पुलिस उप-अधीक्षक, पुलिस विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र भर्ती नियम, 2021 के प्रवृत होने के पश्चात, प्रोन्नति कोटा से बाहर के सभी पदों को प्रोन्नत अधिकारी द्वारा इन्हें रिक्त किए जाने के पश्चात, तत्काल विहित कोटे में वापस किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और वेतनमान + ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2	(3)	(4)	(5)	(6)
पुलिस उप-अधीक्षक।	23* (2021) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-3 (15,600 – 39,100 + 5400 रू) ।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैंड-2 (9300 – 34,800) ग्रेड वेतन + 4800 रू में चंडीगढ़ पुलिस के ऐसे निरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा यथाविहित दो सप्ताह का	**समूह 'क', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ़	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे पुलिस अधिकारी जो :- (क) जो मूल संवर्ग या विभाग में (वेतन बैंड 3 में) वेतनमान 15,600-39,100 रू सहित ग्रेड वेतन 5400 रू या समतूल्य वेतनमान वाले पदों में नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिसके पास विधि और आदेश और अन्वेषण के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर	संघ राज्य क्षेत्र - सदस्य; 3. प्रधान सचिव (गृह) या गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य; 4. पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़ पुलिस का मुखिया होने के नाते) –सदस्य। **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :-** 1. प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र -अध्यक्ष; 2. प्रधान सचिव (गृह) या गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य; 3. पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़ पुलिस का मुखिया होने के नाते) -सदस्य ।	

बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

स्पष्टीकरण ज्ञापन: पुलिस उप-अधीक्षक के स्वीकृत पद, समय-समय पर स्वीकृत किए गए पुलिस उप-अधीक्षक के पदों को संवर्ग में शामिल किया गया तथा ऐसे संवर्ग पदों की संख्या 14 है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न अवसरों पर पुलिस उप-अधीक्षक के ग्रेड में 01 संवर्ग- बाह्य पद (पुलिस उप-अधीक्षक – ओ.एस.डी. –सतर्कता), 01 संवर्ग- बाह्य पद (जिला कमांडेंट होमगार्ड) और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के 7 पद भी स्वीकृत किए गए थे। यह ऐसी अंतरिम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि संवर्ग पदों से बाहर के ऐसे पदों का उपयोग भी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सांविधिक नियमों में बिना किसी संशोधन के पंजाब पुलिस सेवा नियम, 1959 के अधीन प्रोन्नति आधार पर पदों को भरने के लिए किया गया था।

2. पुलिस उप-अधीक्षक के ग्रेड में संवर्ग पदों की कुल स्वीकृत संख्या, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, 23 होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

[फा.सं. 14046/21/2018—यूटीएस-II]

बी.जी. कृष्णन, उप सचिव (सेवा)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st January, 2021

G.S.R. 05.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Punjab Police Service Rules, 1959 in so far as they relate to filling up the post of Deputy Superintendent of Police, for the union territory of Chandigarh except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police in the Police Department, Union territory of Chandigarh under the Ministry of Home Affairs, namely :–

1. Short Title and Commencement. - (1) These rules may be called the Deputy Superintendent of Police, Police Department, Union territory of Chandigarh Recruitment Rules, 2021. (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay. - The number of post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

(1) the authorised strength of the cadre, i.e. Deputy Superintendent of Police, shall be 23 which includes, existing 14 posts of Deputy Superintendent of Police, and 07 posts of India Reserve Battalion plus 01 ex-cadre post (Officer on Special Duty - Deputy Superintendent of Police - Vigilance) plus 01 ex-cadre post (District Commandant Home Guards). These 09 posts (07 India Reserve Battalion + 02 ex-cadre) will be en-cadred into the grade of Deputy Superintendent of Police from the date of Notification of these rules;

(2) the Cadre Authority may alter the authorised strength, as it may deem necessary from time to time, depending on variation in the work load.

3. Exclusion of duty posts from the cadre. - Any duty posts in the grade may be declared by the Cadre Authority to be excluded from the cadre, if such post is required, for the time being, to be filled in by the appointment of persons possessing special or technical qualification or experience.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution. - Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, persons holding the post of Deputy Superintendent of Police (DSP) in the Union territory of Chandigarh, under provisions of the Punjab Police Service Rules, 1959 shall be deemed to have been appointed to the posts of Deputy Superintendent of Police in accordance with the provision of these rules. The regular service rendered by the incumbent Deputy Superintendent of Police in Chandigarh Police under Chandigarh Administration appointed in accordance with the provisions of the Punjab Police Service Rules 1959, shall be counted in order to maintain seniority at the time of commencement of these rules.

7. Power to Relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with the Union Public Service Commission, any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings. -

(1) Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(2) Nothing in these rules shall affect the promotions to the grade of Deputy Superintendent of Police, outside the promotion quota vacancies i.e. by way of utilisation of the sanctioned posts of the India Reserve Battalion, as duty posts, in the grade of Deputy Superintendent of Police. However, after coming into force of the Deputy Superintendent of Police, Police Department, Union territory of Chandigarh Recruitment Rules, 2021, all the posts outside the promotion quota, shall be restored to the prescribed quota, immediately, after it is vacated by the promotee officer.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Scale of Pay plus Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Superintendent of Police.	23*(2021) (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	PB-3 (Rs. 15,600-39,100 + Rs. 5400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) 70 per cent. by promotion; and (ii) 30 per cent. by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Inspectors of Chandigarh Police in Pay Band-2 (Rupees 9300-34,800) plus Grade Pay of Rupees 4800 with six years of regular service in the grade, and having successfully completed two weeks training as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Police officers from the Central Government or State Governments or Union territories: (a) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the posts in Pay Scale of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band – 3 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing three years experience in the field of Law and Order and Investigation. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this	**Group 'A', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Advisor to the Administrator, Union Territory Chandigarh – Member; 3. Principal Secretary (Home) or Home Secretary, Chandigarh Administration – Member; 4. Director General of Police or Inspector General of Police, Union territory Chandigarh (being the head of the Chandigarh Police) – Member. **Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of**:- 1. Advisor to the Administrator, Union territory Chandigarh – Chairman; 2. Principal Secretary (Home) or Home Secretary, Chandigarh Administration – Member; 3. Director General of Police or Inspector General of Police, Union territory Chandigarh (being the head of the Chandigarh Police) – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

Explanatory Note - The sanctioned posts of Deputy Superintendent of Police, sanctioned from time to time were included in the cadre posts and the number of such cadre posts remains 14. In addition, 01 ex-cadre post (DSP-OSD-Vigilance), 01 ex-cadre post (District Commandant Home Guards) and 07 posts of Indian Reserve Battalion (IRB) were also sanctioned by the competent authority, in the grade of Deputy Superintendent of Police, on different occasions. It was, by view of interim arrangements that such posts, outside the cadre posts, were also utilized by the Union territory Administration for filling up on promotion basis, under the Punjab Police Service Rules, 1959 without any amendment in the statutory rules.

2. The total sanctioned strength of the cadre posts, in the grade of the Deputy Superintendent of Police shall be 23 from the date of publication of this notification in official Gazette, as explained above.

[F.No.14046/21/2018-UTS-II]

B.G. KRISHNAN, Dy. Secy. (Services)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.